दिनांक 19 अगस्त, 2023 को आयोजित जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति की बैठक कार्यवृत्त :–

आज दिनांक 19 अगस्त, 2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिवार नियोजन क्षतिपूति उप–समिति, चम्पावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्वालिटी ऐश्यूरेन्स कमेटी तथा जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति की बैठक का आयोजन, सभागार जिला कार्यालय चम्पावत में किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. डा0 के0के0 अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।
2. डा0 कुलदीप सिंह यादव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–एन0एच0एम0, चम्पावत।
3. डा0 चन्द्र शेखर भट्ट, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/बाल रोग विशेषज्ञ, चम्पावत।
4. डा0 सोनाली मण्डल, सेवा प्रदाता–एफ0पी0आई0एस0, एस0डी0एच0, लोहाघाट।
5. डा0 प्रदीप सिंह बिष्ट, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, चम्पावत।
6. डा0 गुरूशरण कौर, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, पाटी।
7. डा0 मंजीत सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, बाराकोट।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय क्वालिटी ऐश्यूरेन्स कमेटी, चम्पावत द्वारा बैठक में उपस्थिति प्रतिभागियों/सदस्यों का स्वागत किया गया तथा सभी प्रतिभागियों/सदस्यों का परिचय लेते हुए बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय/चर्चा की गयी–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में असफल नसबन्दी दावा प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुल 04 दावा प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जनपदीय समिति से अनुमोदन के उपरान्त राज्य स्तर को अग्रसारित किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा असफल नसबन्दी के Failure Rate के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी तथा गाईडलाईन के अनुसार सभी केसों की समीक्षा के उपरान्त ही राज्य स्तर को अग्रसारित करने के निर्देश दिये गये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा केसवार सूचना समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गयी तथा निम्नलिखित प्रकार से समीक्षा की गयी–

केस संख्या–01, श्रीमती जीवन्ती देवी पत्नी श्री ईश्वरी दत्त–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती जीवन्ती देवी पत्नी श्री ईश्वरी दत्त, निवासी ग्राम–पल्सों, पो0–चम्पावत, जनपद चम्पावत का नसबन्दी ऑपरेशन दिनांक 18.07.2018 को जिला चिकित्सालय चम्पावत में सर्जन, डा0 आर0पी0 खण्डूरी द्वारा किया गया। दिनांक 23.01.2020 को जिला चिकित्सालय, चम्पावत में जॉच के उपरान्त श्रीमती जीवन्ती देवी गर्भवती पायी गयी तथा दिनांक 17.03.2020 को इनके द्वारा असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत को प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगवत कराया गया कि वर्ष 2018–19 में कुल 527 महिला नसबन्दी ऑपरेशन कराये गये जिसके सापेक्ष उपरोक्त 01 केस असफल रहा। समीक्षा के दौरान पाया गया कि असफलता दर 18.5 प्रति हजार के सापेक्ष जनपद में वर्ष 2018–19 में नसबन्दी केसों की असफलता दर 1.89 प्रति हजार रही तथा उक्त असफल केस गाईड–लाईन के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए समयान्तर्गत प्राप्त हुआ है, जिसे असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु संस्तुति सहित राज्य क्वालिटी ऐश्योरेन्स समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

केस संख्या–02, श्रीमती नेहा देवी पत्नी श्री मनोज राम–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती नेहा देवी पत्नी श्री मनोज राम, निवासी ग्राम–किमतोली, पो0–लोहाघाट, जनपद चम्पावत का नसबन्दी ऑपरेशन दिनांक 04.01.2016 को सामु0स्वा0केन्द्र, लोहाघाट में सर्जन, डा0 आर0पी0 खण्डूरी द्वारा किया गया। दिनांक 28.07.2021 को उप जिला चिकित्सालय, लोहाघाट में जॉच के उपरान्त श्रीमती नेहा देवी 12 सप्ताह 03 दिन की गर्भवती पायी गयी तथा दिनांक 28.07.2021 को इनके द्वारा असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत को प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगवत कराया गया कि वर्ष 2016–17 में कुल 609 महिला नसबन्दी ऑपरेशन कराये गये जिसके सापेक्ष कुल 03 केस असफल रहे। समीक्षा के दौरान पाया गया कि असफलता दर 18.5 प्रति हजार के सापेक्ष जनपद में वर्ष 2016–17 में नसबन्दी केसों की असफलता दर 4.92 प्रति हजार रही तथा उक्त असफल केस गाईड–लाईन के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए समयान्तर्गत प्राप्त हुआ है, जिसे असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु संस्तुति सहित राज्य क्वालिटी ऐश्योरेन्स समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

केस संख्या–03, श्रीमती चन्द्रा भट्ट पत्नी श्री बसन्त बल्लभ भट्ट–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती चन्द्रा भट्ट पत्नी श्री बसन्त बल्लभ भट्ट, निवासी ग्राम–रौंसाल, पो0–रौंसाल, जनपद चम्पावत का नसबन्दी ऑपरेशन दिनांक 08.01.2015 को सामु0स्वा0केन्द्र, लोहाघाट में सर्जन, डा0 आर0पी0 खण्डूरी द्वारा किया गया। दिनांक 21.06.2022 को जिला चिकित्सालय, चम्पावत में जॉच के उपरान्त श्रीमती नेहा देवी गर्भवती पायी गयी तथा दिनांक 01.07.2022 को इनके द्वारा असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत को प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगवत कराया गया कि वर्ष 2014–15 में कुल 703 महिला नसबन्दी ऑपरेशन कराये गये जिसके सापेक्ष कुल 06 केस असफल रहे। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद में वर्ष 2014–15 में नसबन्दी केसों की असफलता दर 8.53 प्रति हजार रही जो सम्भावित दर की सीमा के अन्तर्गत है तथा उक्त असफल केस गाईड–लाईन के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए समयान्तर्गत प्राप्त हुआ है, जिसे असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु संस्तुति सहित राज्य क्वालिटी ऐश्योरेन्स समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

केस संख्या–04, श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम–फागपुर, पो0–चन्दनी टनकपुर, जनपद चम्पावत का नसबन्दी ऑपरेशन दिनांक 19.02.2015 को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में सर्जन डा0 आर0पी0 खण्डूरी द्वारा किया गया। दिनांक 25.01.2016 को जिला चिकित्सालय, चम्पावत में जॉच के उपरान्त श्रीमती रीता देवी गर्भवती पायी गयी तथा दिनांक 26.02.2016 को इनके द्वारा असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत को प्रस्तुत किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अगवत कराया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 19 जुलाई, 2016 को आयोजित जिला स्तरीय क्वालिटी ऐश्यूरेन्स कमेटी की बैठक में संस्तुति उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत के कार्यालय पत्रांक/रा0का0/प0क0/2016–17/1611 दिनांक 22.10.2016 द्वारा अपर निदेशक (परिवार कल्याण), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून को दावा भुगतान हेतु अनुमोदन सहित अग्रसारित किया गया था। निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–UKHFWS/FPIS/3/22-23/100 दिनांक 15 अप्रैल, 2023 द्वारा **"दावा प्रपत्र सत्यापित नहीं हैं, जिला इण्डेमिनिटी उपसमिति की रिपोर्ट संलग्न नहीं है, वापस"** अंकित करते हुए त्रुटियों के निराकरण हेतु दावा प्रपत्र प्रत्यावर्तित किया गया है। अवगत कराया गया कि वर्तमान में दावा प्रपत्र सत्यापित कर दिया गया है तथा सम्बन्धित केस की नसबन्दी असफलता दर 8.53 प्रति हजार है। समीक्षा के उपरान्त उक्त समिति द्वारा उक्त असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु संस्तुति सहित पुनः राज्य क्वालिटी ऐश्योरेन्स समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

4.9.2023

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति,
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत।

पत्रांक संख्या–रा0का0/एन0एच0एम0/जि0क्वा0ए0स0/2023–24/ दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अध्यक्ष, राज्य क्वालिटी ऐश्यूरेन्स कमेटी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त सदस्य, जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति, चम्पावत।

4.9.2023

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति,
चम्पावत।